GCMS संख्या 2021/560
प्रकरण संख्या 23/21
श्री जगदीश बनाम देवीलाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां **R.A.S.**

GCMS प्रकरण संख्या 2021/560

प्रकरण संख्या 02/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

1. जगदीश पिता रामा डांगी निवासी खेड़ली, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
2. देवा पिता लाला डांगी निवासी खेड़ली, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।

.................प्रार्थीगण

बनाम

1. देवीलाल पिता गांगा डांगी निवासी ग्राम खेड़ली, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
2. कमलाशंकर पिता गांगा डांगी निवासी ग्राम खेड़ली, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
3. चुनीलाल पिता गांगा डांगी निवासी ग्राम खेड़ली, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
4. तुलसी राम पिता गांगा डांगी निवासी ग्राम खेड़ली, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
5. मानी बाई पत्नि गांगा डांगी निवासी ग्राम खेड़ली, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
6. दोला पिता खेमा डांगी निवासी ग्राम खेड़ली, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
7. हरजी पिता खेमा डांगी निवासी ग्राम खेड़ली, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
8. भेरा पिता खेमा डांगी निवासी ग्राम खेड़ली, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
9. चुनी लाल पिता भैरूलाल ब्राहम्ण निवासी ग्राम खेड़ली, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
10. देवा पिता गोविन्दा डांगी निवासी खेड़ली, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीण्डर जिला–उदयपुर।

.............अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर (राज.) जिला–उदयपुर

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री मुकेश मेनारिया।

निर्णय दिनांक : 09.06.2022

1. प्रार्थी श्री जगदीश पिता रामा एवं देवा पिता लाला डांगी निवासी खेड़ली द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खेड़ली पटवार हल्का केदारिया भू–अभिलेख निरीक्षक वृत भीण्डर, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2069–72 की आराजी संख्या 366 रकबा 3–5 बीघा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज है जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर कास्त कर रहे है जिसकी चारो ओर की प्रार्थी को [illegible]
2. प्रार्थीगण उक्त आराजी के चारो ओर आवारा [illegible] के लिए तार बन्दी व बाउण्ड्रीवॉल करवाना चाहते है इस हेतु प्रार्थीगण अपनी आराजियात के मध्य बाउण्ड्रीवॉल व तार बन्दी करवाने हेतु पड़ौसी [illegible] जानकारी से बाउण्ड्रीवॉल व तार बन्दी करवाने का विरोध किया इस पर प्रार्थीगण उपरोक्त आराजियात के पड़ौसीयों का आपसी राजीनामा से पटवारी से नपवाने हेतु कहॉ तो उन्होने नाप लेने से इन्कार कर दिया जिससे मजबुर होकर प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश करना पड़ा।

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर जिला–उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:42:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

उपरोक्त प्रार्थना पत्र वाद कारण दिनांक 26.11.2019 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को सीमा जानकारी कराने हेतु कहाँ जिससे निरन्तर जारी है।

3. अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा खेड़ली पटवार हल्का केदारिया भू–अभिलेख निरीक्षक वृत भीण्डर, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2069–72 की आराजी संख्या 366 रकबा 3–5 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी जरिये तहसीलदार भीण्डर से करवाने का आदेश प्रदान कराया जावें जिससे मौके पर आये दिन सीमा विवाद का लड़ाई झगड़ा न हो व शान्ति बनी रहे।

4. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया परन्तु अप्राथीगण द्वारा बाद तामिल भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र जल्दी सुनवाई का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र 3 वर्ष से न्यायालय में विचाराधिन है एवं अप्रार्थीगण द्वारा बाद तामिल भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

5. हमने पत्रावली का अध्ययन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई एक पक्षीय बहस पर मनन किया जिसमें मौजा मौजा खेड़ली पटवार हल्का केदारिया भू–अभिलेख निरीक्षक वृत भीण्डर, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2069–72 की आराजी संख्या 366 रकबा 3–5 बीघा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज है जिसकी पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीण्डर को 1000 रूपयें पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिए जाते है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा खेड़ली पटवार हल्का केदारिया भू–अभिलेख निरीक्षक वृत भीण्डर, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2069–72 की आराजी संख्या 366 रकबा 3–5 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है जसकी **वर्तमान भू प्रबन्धन के बाद नए खाता नम्बर के नए आराजी नम्बर** की पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण एवं सभी पक्षकारों तथा विपक्षीगण की उपस्थिति में की जाने के आदेश दिये जाते है।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:42:25 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner